कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक– शिविरा/मा/संस्था/सी–6/राज.विज्ञान/ स्थानान्तरण/2021 दिनांक–25.09.2021 के द्वारा कमलप्रीत कौर व्याख्याता, राजनीति विज्ञान राउमावि शाहपीनी, संगरिया, हनुमानगढ का स्थानांतरण राउमावि जेदासर, रावतसर, हनुमानगढ किया गया। कमलप्रीत कौर ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 6054/2021 कमलप्रीत कौर बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

उक्त अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.12.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये हैं।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानांतरित स्थान 120 किमी दूर होने, पति का पंजाब में कार्यरत होने , वृद्व ससुर के देखभाल की जिम्मेवारी स्वयं पर होने तथा पुत्र के अल्पायु में होने एवं पारिवारिक जिम्मेदारियां स्वयं पर होने के आधार पर अपना पदस्थापन/समायोजन राउमावि खैरूवाला, सादूलशहर, श्रीगंगानगर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की ।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण व मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद, राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी का स्थानांतरण हनुमानगढ जिले में ही किया गया है किसी अन्य जिले में नहीं। अपीलार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर दिनांक 27.10.2021 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा अपने इच्छित पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/अभ्यावेदन/अ. 6054/2021 — दिनांकः– 21/02/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1.संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग ....।
2.संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा..........................।
3.मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा ....।
4.जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर.................................।
5.विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6.सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7.संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि/राबाउमावि ....।
8.गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर